कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 177/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 29.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक-29.05.2025 को **थाना जहानागंज पुलिस द्वारा 24 घण्टें के अन्दर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद चापड़ बरामद किया गया।**

थाना-जहानागंज

24 घण्टे के अन्दर हत्या की घटना का सफल अनावरण, 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद चापड बरामद किया गया।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28.05.25 को वादी सुदर्शन राजभर पुत्र शिवप्रसाद निवासी ग्राम भतडी चक भतडी थाना रानीपुर जिला मऊ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 27.05.025 की शाम 7.30 बजे के करीब मेरा लड़का अमित भरपुरवा गांव के निवासी जितेन्द्र राजभर व सुदर्शन राजभर के साथ उनके घर पर बैठ कर बात चीत कर रहा था कि अचानक रितेश राजभर पुत्र सुरेन्द्र राजभर वहाँ धारदार हथियार लेकर आया और अमित, सुदर्शन तथा जितेन्द्र के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें मेरे लडके अमित के गर्दन मे धारदार हथियार से चोट लगने के कारण अस्पताल ले जाते समय रास्ते मे ही उसकी मृत्यु हो गई तथा सुदर्शन और जितेन्द्र गंभीर रूप से घायल हो गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 177/25 धारा 131,118,103 BNS बनाम अभियुक्त रितेश राजभर पुत्र सुरेन्द्र राजभर नि0 ग्रा0 भरपुरवा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 29.05.2025 को व0उ0नि0 हृदयानन्द पाठक, उ0नि0 विनय कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रितेश राजभर पुत्र सुरेन्द्र राजभर उम्र करीब 20 वर्ष निवासी भरपुरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को बबूरा से आगे सेमा देउरा जाने वाले मार्ग के पास से समय करीब 03.58 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक चापड बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि अमित उर्फ लखंदर, सुदर्शन व जितेन्द्र, मेरी माँ पर बुरी नजर रखते थे तथा अक्सर कमेंट करते रहते थे। मैंने कई बार इन लोगों को मना किया था कि ऐसा मत करे पर ये लोग मानते नही थे, शराब पीकर ये लोग गाली गलौज करते थे तथा मेरी माँ पर अभद्र टिप्पणी किया करते थे। तभी से मै बदला लेने के लिए मौके की तलाश मे था। दिनांक 27/05/2025 की रात को ये तीनों घर के बरामदे मे चौकी पर बैठकर शराब पी रहे थे। मै अपने कमरे के बाहर छिपकर चापड़ लेकर मौके की तलाश मे इंतजार कर रहा था, जैसे ही जितेन्द्र कुछ सामान लेने अपने कमरे मे गया तभी मै अचानक से वहाँ पहुंचकर अमित के गर्दन पर चापड़ से प्रहार कर दिया जिससे अमित चौकी पर से नीचे गिर गया, उसके नीचे गिरते ही मैने अपने चाचा सुदर्शन के गले पर भी चापड़ से प्रहार कर दिया जिससे वह घायल हो गये तभी वहाँ जितेन्द्र भी अपने कमरे से वापस आ गया तब मै उसको भी चापड़ से मारने

के लिए दौड़ा लिया तो वो अपने कमरे मे भाग कर गया व डंडा लेकर मुझे भगाने का प्रयास करने लगा जब मैने उसे मारना चाहा तो उसने बचाव मे डंडे से मुझे मारा जिससे मेरे सिर मे चोट लग गयी। तब मै वहाँ से चापड़ लेकर भाग गया।

पंजीकृत अभियोगः-

1 मु0अ0सं0 177/25 धारा 131,118, 103 BNS बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- अभियुक्त रितेश राजभर पुत्र सुरेन्द्र राजभर उम्र करीब 20 वर्ष निवासी भरपुरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

01.एक अदद आलाकत्ल चापड

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. व0उ0नि0 हृदयानन्द पाठक थाना जहानागंज आजमगढ़
2.उ0नि0 विनय कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़
3. हे0का0 मो0 ताबिस, थाना जहानागंज आजमगढ़
4. आरक्षी कमलेश गोंड थाना जहानागंज आजमगढ़
5. आरक्षी ऋषि कुमार थाना जहानागंज आजमगढ
6. आरक्षी विनय पटेल थाना जहानागंज आजमगढ़
7.म0का0 शिखा तिवारी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
8. उ0नि0 मनीष पाल स्वाट टीम जनपद आजमगढ़
9.हे0का0 पवन यादव स्वाट टीम जनपद आजमगढ़
10.हे0का0 धर्मेन्द्र यादव स्वाट टीम जनपद आजमगढ़
11.का0 सुनील प्रजापति स्वाट टीम जनपद आजमगढ़
12.का0 अरुण पाण्डेय स्वाट टीम जनपद आजमगढ़